

**हिमाचल प्रदेश सरकार**  
**सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या: आई0पी0एच0-बी (ए)3-1/2005 तारीख, शिमला-2,....., 2006

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का 31) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने का प्रस्ताव करते हैं और उन्हें जन-साधारण की जानकारी के लिए एतद द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करते हैं,

इन नियमों से सामान्य प्रभावित, कोई हितवद्ध व्यक्ति, यदि इन नियमों के बारे में कोई आक्षेप करना या सुझाव देना चाहे तो वह उसे उक्त प्रारूप नियमों के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज सकेगा,

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेपों या सुझावों यदि कोई हों, पर सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा, अर्थात:-

**प्रारूप नियम**

**अध्याय-1**

**प्रारम्भिक**

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) नियम 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

## 2. परिभाषाएं ।

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबंधन का विनियम और नियंत्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का 31) अभिप्रेत है,

(ख) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;

(घ) "निधि" से इन नियमों के नियम 9 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है;

(ङ) "सदस्य सचिव" से प्राधिकरण का सदस्य सचिव अभिप्रेत

हैं;

(च) "अनुज्ञापत्र" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन भूगर्भजल को निकालने और प्रयोग करने के लिए प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "अनसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो अधिनियमन में हैं ।

## अध्याय -2

**प्राधिकरण के कारबार का संचालन निधि का गठन, लेखों को रखना और लेखाओं की संपरीक्षा**

### 3. प्राधिकरण का कार्यालय समय, कारबार और बैठकें:-

- (1) प्राधिकरण का कार्यालय ऐसे कार्य दिवसों और घण्टों के लिए खुला रहेगा जैसे राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए लागू है।
- (2) जहां किसी गतिविधि के लिए अंतिम दिवस उस दिन पड़ता है जिस दिन प्राधिकरण का कार्यालय बन्द हो, तो ऐसी गतिविधि आगामी कार्य दिवस को की जा सकेगी जब कार्यालय खुला हो।
- (3) प्राधिकरण आवेदनों/याचिकाओं के निपटान सहित मामलों पर विचार करने के लिए अपने कार्यालय में या किसी अन्य स्थान पर, किसी दिन जो इसके द्वारा समय-समय पर घोषित किया जा सकेगा, बैठकें आयोजित कर सकेगा।

### 4. प्राधिकरण की भाषा:- प्राधिकरण की कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी।

### 5. प्राधिकरण के कृत्य:- प्राधिकरण अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा और राज्य सरकार के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन इसे यथा समनुदेशित कृत्यों का पालन तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

### 6. प्राधिकरण के अध्यक्ष के कृत्य और कर्तव्य :-(1) अध्यक्ष;

- (क) प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करेगा; और
- (ख) प्राधिकरण के कार्यकरण का पर्यवेक्षण, निदेश और नियन्त्रण करेगा।
- (2) प्राधिकरण की शक्तियों के प्रयोग, कृत्यों के पालन और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अध्यक्ष की सहायता, प्राधिकरण का सदस्य सचिव करेगा।

## 7. प्राधिकरण के सदस्य सचिव की शक्तियाँ, कृत्य और कर्तव्य:

(1) अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन सदस्य सचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात:-

- (क) वह प्राधिकरण के अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा ;
- (ख) वह प्राधिकरण से सम्बन्धित समस्त आवेदनों, याचिकाओं, शिकायतों या निर्देशों को प्राप्त करेगा या प्राप्त करवाएगा ;
- (ग) वह, अन्य बातों के साथ, समस्त दस्तावेजों, आवेदनों, याचिकाओं, शिकायतों या निर्देशों की संवीक्षा (छानबीन) करेगा; और उन पर स्पष्टीकरणों या परिशुद्धियों की मांग करेगा ।
- (घ) वह, इन नियमों के अधीन ऐसे कृत्यों का कार्यान्वयन करेगा, जो उसे प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं ;
- (ङ) वह प्राधिकरण द्वारा आगामी निपटान के लिए प्राप्त आवेदनों के ब्यौरे प्राधिकरण के समक्ष रखेगा ;
- (च) वह बैठकों के लिए नोटिस जारी करेगा, बैठकों की कार्यसूची तैयार करेगा और प्राधिकरण की बैठकों, के कार्यवृत्त तैयार करेगा, और
- (छ) उसकी सहायता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसे प्राधिकरण के अध्यक्ष के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

## 8 प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए यात्रा और अन्य भते:-(1)

प्राधिकरण की बैठकों या किसी गतिविधि में हाजिर होने के लिए अध्यक्ष सहित पदेन सदस्यों को यात्रा भता नियमों के उपबंधों के अनुसार, जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के मामले में उन पर लागू होंगे,

यात्रा और अन्य भत्ते संदत किए जाएंगे तथा ऐसे भत्तों का आहरण अपने मूल विभाग या संगठन से करेंगे

- (2) उप नियम (1) में निर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण के समस्त अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को प्रति बैठक 500/- रुपये बैठक फीस संदत की जाएगी तथा यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते राज्य सरकार के वर्ग-। अधिकारियों को अनुज्ञेय दर पर संदत किए जाएंगे।

**9 निधि का गठन:-** (1) प्राधिकरण राज्य सरकार के परामर्श से एक निधि का गठन करेगा जो हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात होगी;

(2) **निधि-**

- (i) अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीसों, प्रभारों और शास्तियों;
- (ii) राज्य या केन्द्रीय सरकारों से सहायता अनुदान के कारण प्राप्त राशियों; और
- (iii) प्राधिकरण द्वारा अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियों से समाविष्ट होगी।

**10 निधि का उपयोजन:-**

- (क) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्राधिकरण को इसके कृत्यों और कर्तव्यों के व्ययों; और
- (ख) अधिनियम और इन नियमों के अधीन विनिर्दिष्ट गतिविधियों और प्रयोजनों पर व्ययों को पूरा करने के लिए, किया जाएगा।

**11. लेखे बनाए रखना:-**

- (1) प्राधिकरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित लेखे और अन्य अभिलेख रखेगा।
- (2) प्राधिकरण, प्रतिवर्ष जुलाई मास में 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की आय और व्यय का विवरण तैयार करवाएगा तथा उसकी एक प्रति राज्य सरकार को देगा।

**12 बैंक खाता खोलना और इसका संचालन :-**

(1) प्राधिकरण एक या अधिक अनुसूचित बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंक में एक खाता खोलेगा और प्राप्त किया गया समस्त धन प्राधिकरण के खाते में जमा किया जाएगा तथा खाता चैक के माध्यम से सदस्य सचिव द्वारा संचालित किया जाएगा।

(2) प्राधिकरण बैंक को इसकी सूचना और अभिलेख के लिए सदस्य सचिव के नमूना- हस्ताक्षर उपलब्ध करवाएगा।

**13 लेखों की लेखा परीक्षा:-**

प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा प्रतिवर्ष परीक्षक स्थानीय लेखा विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा की जाएगी।

### अध्याय:- 3

#### प्राधिकरण की कार्यवाहियों से सम्बन्धित साधारण नियम

#### 14 प्राधिकरण की कार्यवाहियां:-

(1) प्राधिकरण, अधिनियम और इन नियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में जैसा यह समुचित समझे समय-समय पर चर्चा, विचार-विमर्श, अन्वेषण और परामर्श के लिए बैठकें आयोजित करेगा।

(2) प्राधिकरण अपने कारबार का निपटान करने के लिए तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

#### 15. आवेदनों की प्रक्रिया:-

(1) प्राधिकरण द्वारा किसी विशिष्ट दिन, सामान्य कार्य समय के दौरान प्राप्त आवेदनों को उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।

(2) अधूरा/अस्पष्ट आवेदन या अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं पाया गया आवेदन अस्वीकृत किया जाएगा।

(3) आवेदनों की प्रक्रिया के दौरान:- प्राधिकरण का सदस्य सचिव, उन आवेदनों को जो समस्त प्रकार से पूर्ण है आगामी निपटान के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(4) सदस्य सचिव आवेदन की संवीक्षा (छानबीन) करने पर, जैसा वह आवेदन की आगामी प्रक्रिया को प्रयोजन के लिए आवश्यक समझे आवेदक से ऐसी सूचना अथवा विशिष्टियों या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा, यथासाध्य, इन नियमों के अधीन प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची का पालन किया जाएगा:-

कम सं० आवेदन का विवरण / प्रकृति

प्रक्रिया के लिए अधिकतम समय

---

<p>क) अधिनियम की धारा 7 के अधीन</p> <p>भूगर्भ जल निकालने (निष्कर्षण) और प्रयोग करने के लिए अनुज्ञापन प्रदान करना;</p>	<p>आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन।</p>
<p>(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन से</p> <p>विद्यमान उपभोक्ता के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करना;</p>	<p>आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन।</p>
<p>(ग) अधिनियम की धारा 9 के अधीन से रिग स्वामी / ड्रिलिंग अभिकरण की मशीनरी का रजिस्ट्रीकरण।</p>	<p>आवेदन की प्राप्ति की तारीख तीस दिन।</p>
<p>(घ) अधिनियम की धारा 10 के अधीन से</p> <p>अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र के निवेदन और शर्तों में परिवर्तन संशोधन या फेरफार।</p>	<p>आवेदन की प्राप्ति की तारीख तीस दिन।</p>

#### अध्याय -4

### भूगर्भजल को निकालने (निष्कर्षण) के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान करने हेतु आवेदन

#### 16. भूगर्भ जल को निकालने (निष्कर्षण) और प्रयोग करने के लिए अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन:-

- (1) भूगर्भ जल का कोई उपभोक्ता जो अधिसूचित क्षेत्र में नया कुआं खोदना चाहता है, धरेलू/सिंचाई प्रयोजनों के लिए प्ररूप-। में और वाणिज्यिक /औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्ररूप-। क में, तीन प्रतियों में भूगर्भ जल को निकालने और प्रयोग करने के लिए अनुज्ञापत्र हेतु प्राधिकरण को आवेदन करेगा। तथा आवेदन के साथ नियम 31 में यथाविनिर्दिष्ट अप्रतिदेय ( नान- रिफंडेबल ) फीस संदत किए जाने का दस्तावेजीय सबूत और उक्त प्ररूपों के नीचे टिप्पण में यथा-विनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज संलग्न होंगे।
  - (2) आवेदक, यथास्थिति, अपने निवास या कार्यालय में और ऐसे अन्य स्थान पर, जैसा प्राधिकरण द्वारा अभिहित (नामनिर्दिष्ट) किया जाए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां लोक निरीक्षण के लिए रखेगा तथा उनके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ।/-रूपया ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां देगा प्रति पृष्ठ से अनधिक मूल्य पर।
- 17 अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन की सूचना (नोटिस) का प्रकाशन:- (1) यदि प्राधिकरण का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचित क्षेत्र में अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और इसके साथ अपेक्षित सूचना एवं दस्तावेज संलग्न है, तो यह हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्ररूप -2 में संलग्न आवेदन की सूचना (नोटिस) प्रकाशित करेगा:-

- (क) वाणिज्यिक/ औद्योगिक उपयोग की दशा में, दो मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में और उसकी प्रति भी यथास्थिति अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत का नगरीय (शहरी) स्थानीय प्राधिकरण के सूचना बोर्ड पर दर्शित की जाएगी; और
- (ख) सिंचाई के मामले में, सूचना (नोटिस) की प्रति अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी।
- (2) यदि सूचना (नोटिस) में दी गई नियत तारीख तक किसी भी और से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और इन नियमों के अधीन अनुज्ञापत्र को प्रदान करने या अस्वीकृत करने के लिए आगामी कार्यवाही करेगा।
- 18 अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आक्षेपों की सुनवाई:- (1) आवेदक प्राधिकरण को किसी कानूनी निकाय या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से अपेक्षित, निराक्षेप प्रमाण पत्र यदि कोई हो देगा।
- (2) प्राधिकरण आवेदन की जांच या सुनवाई की सूचना, यथास्थिति, आवेदक और/ या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण या उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप दाखिल किए हैं या ऐसे अन्य निकाय या व्यक्तियों को जिन्हें प्राधिकरण समुचित माने, देगा।
- 19 अनुज्ञापत्र जारी करना:-**
- (1) आवेदन की जांच और सुनवाई के पश्चात् तथा धारा 7 की उपधारा (5) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण आवेदन का विनिश्चय करेगा और प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अपने विनिश्चय को, विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर आवेदक को सूचित करेगा।
- (2) यदि प्राधिकरण अनुज्ञापत्र प्रदान करने का विनिश्चय करता है, तो यह धारा 7 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसे निबंधन और शर्तों पर ऐसा कर सकेगा जैसे इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

- (3) आवेदक द्वारा उस शर्त को पूरा करने के पश्चात् जिसके अधीन उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्र प्रस्थापित किया जाता है, प्राधिकरण भूगर्भजल को निकालने या विद्यमान जल क्षेत्र का संवर्धन करने के लिए इन नियमों से संलग्न प्ररूप- 3 में अनुज्ञापत्र जारी करेगा।
- (4) प्राधिकरण, अनुज्ञापत्र को जारी करने के ठीक पश्चात् अनुज्ञापत्र की एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय निकाय को और ऐसे अन्य व्यक्ति को, जिसे प्राधिकरण आवश्यक समझे, अग्रेषित करेगा।

**20. अनुज्ञापत्र के प्रारम्भ की तारीख :-** अनुज्ञापत्र इसके जारी करने की तारीख से प्रारम्भ होगा।

**21. अनुज्ञापत्र-धारक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व :-** अनुज्ञापत्र धारण का यह कर्तव्य होगा कि वह भूगर्भ जल को निकालने के लिए दक्ष, समन्वित और मितव्ययी पद्धति को विकसित करने और बनाए रखे तथा जल का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए करें जिसके लिए अनुज्ञापत्र दिया गया है। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम और इन नियमों में अंतर्विष्ट समस्त अन्य उपबन्धों और जारी किए गए अनुज्ञापत्र में अधिरोपित शर्तों, यदि कोई हो, का अतिक्रमण न हो।

### अध्याय-5

#### भूगर्भ जल स्रोतों के विद्यमान उपभोक्ताओं का रजिस्ट्रीकरण

#### 22 विद्यमान भूगर्भ जल उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-

- (1) धारा 8 के अधीन भूगर्भ जल स्रोत के विद्यमान उपभोक्ता के रजिस्ट्रीकरण और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आवेदन धरेलु/औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्ररूप-4 में और वाणिज्यिक/ औद्योगिक प्रयोजन के लिए प्ररूप-4 क में, तीन प्रतियों में, किया जाएगा, तथा इसके साथ नियम-31 में यथाविनिर्दिष्ट अप्रतिदेय (नान रिफंडेबल) फीस संदत्त किए जाने का दस्तावेजीय सबूत और उक्त प्ररूपों के नीचे टिप्पण में यथाविनिर्दिष्ट अन्य दस्तावेज संलग्न होंगे ।
- (2) आवेदक, यथास्थिति, अपने निवास या कार्यालय में और अन्य स्थान पर जो प्राधिकरण द्वारा अभिहित (नाम निर्दिष्ट) किया जाए, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की प्रतियां लोक (सार्वजनिक) निरीक्षण के लिए रखेगा तथा उनके लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां 1 रूपया प्रति पृष्ठ से अनधिक मूल्य पर देगा ।

#### 23 विद्यमान भूगर्भजल उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की सूचना का प्रकाशन:-

- (1). यदि प्राधिकरण का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचित क्षेत्र में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन समस्त प्रकार से पूर्ण है और इसके साथ अपेक्षित सूचना एवं दस्तावेज संलग्न है, तो यह हितवद्ध व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करने के लिए प्ररूप-5 में आवेदन की सूचना (नोटिस) प्रकाशित करेगा :-
- (क) वाणिज्यिक / औद्योगिक उपयोग के मामले में, दो मुख्य दैनिक समाचार -पत्रों में और उसकी प्रति भी, यथास्थिति, अधिकारिता रखने वाली ग्राम पंचायत या नगरीय (शहरी ) स्थानीय प्राधिकरण के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी; और
- (ख) सिंचाई के मामले में, इसकी एक प्रति, अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकरण के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) यदि सूचना (नोटिस) में दी गई नियत तारीख तक किसी भी ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं, तो प्राधिकरण अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को जारी करने के लिए आगामी कार्यवाही करेगा।

**24 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आक्षेपों की सुनवाई:-**

(1) यदि प्राधिकरण ने आवेदन की सूचना (नोटिस) समाचार पत्रों में या अन्यथा सम्पक रूप से प्रकाशित की गई है और आक्षेपों को दाखिल करने का समय समाप्त हो चुका है तथा आवेदक ने किसी कानूनी निकाय या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार से अपेक्षित निराक्षेप प्रमाण-पत्र, यदि कोई हो, दिया है तो यह आवेदन की सुनवाई के साथ आगामी कार्यवाही करेगा।

(2) प्राधिकरण जांच या सुनवाई की सूचना (नोटिस), आवेदक और/या सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण या उन व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप दाखिल किए हैं और ऐसे अन्य निकाय या व्यक्तियों को, जिन्हें प्राधिकरण समुचित माने, देगा।

**25 रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र**

(1) प्राधिकरण जांच और सुनवाई के पश्चात् तथा अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (4) में अन्तर्दिष्ट उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र जारी करने या अस्वीकृत करने के लिए आवेदन की प्राप्ति से साठ दिन के भीतर विनिश्चय करेगा तथा प्राधिकरण या इसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर अपने विनिश्चय को आवेदक को सूचित करेगा।

(2) यदि प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने का विनिश्चय करता है, तो यह ऐसे निबंधन और शर्तों पर जैसे इसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ऐसा कर सकेगा तथा प्राधिकरण प्ररूप -6 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के जारी करने के ठीक पश्चात् प्रमाण-पत्र की एक प्रति सम्बन्धित स्थानीय निकाय को और ऐसे अन्य व्यक्ति को जिसे प्राधिकरण आवश्यक समझे, अग्रेषित करेगा।

## अध्याय -6

### ड्रिलिंग मशीनरी का रजिस्ट्रीकरण

#### 26. ड्रिलिंग मशीनरी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन:-

(1) राज्य में क्रियाशील प्रत्येक रिग-स्वामी या ड्रिलिंग अभिकरण अपनी मशीनरी के रजिस्ट्रीकरण हेतु इन नियमों से संलग्न प्ररूप -7 में आवेदन करेगा तथा इसके साथ नियम -31 में यथा-विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय (नान-रिफंडेबल) फीस संदत्त किए जाने के दस्तावेजीय सबूत संलग्न करेगा ।

(2) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन समर्थक दस्तावेजों सहित प्रत्येक आवेदन आवेदक द्वारा (व्यक्ति के मामले में) या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा (नियमित निकाय के मामले में) हस्ताक्षरित किया जाएगा और प्राधिकरण के सदस्य सचिव को सम्बोधित किया जाएगा तथा इसके साथ निदर्शन पत्र (प्रोफार्मा ) की तीन प्रतियां या प्रतियों की ऐसी संख्या जैसी प्राधिकरण निर्दिष्ट करे, संलग्न की जाएगी ।

(3) आवेदन की प्राप्ति पर, सदस्य सचिव इसकी प्राप्ति की तारीख नोट करेगा और आवेदक को इसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति भेजेगा ।

(4) यदि प्राधिकरण , अपेक्षित सूचना, विशिष्टियों और दस्तावेजों सहित आवेदन को पूर्ण पाता है तथा अपना यह समाधान होने पर कि आवेदक ने आवेदन करने कि लिए समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, प्राधिकरण या सदस्य सचिव मशीनरी / उपस्कर को रजिस्टर करेगा और प्ररूप -8 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

## अध्याय – 7

### अन्वेषण, जांच, सर्वेक्षण और सूचना का संग्रहण ।

#### 27 भूगर्भ जल स्रोतों पर आंकड़ों का संग्रहण :-

(1) जहां किसी क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता का निर्धारण करना और खोदे जा रहे या खोदे गए कुएं का व्यास या गहराई ; स्तर , जिस पर जल का पता लगाया गया है या था और तत्पश्चात प्रत्यावर्तित किया गया / रहने दिया गया, कुआं खोदते हुए जिन संस्तरो (परतों) का सामना किया गया उनकी किस्में और पता लगाए गए जल की गुणवत्ता और मात्रा तथा निकाले गए जल के अधिकतम उपयोग सहित भूगर्भ जल से सम्बन्धित अवसंरचना पर कोई आंकड़े अभिप्राप्त करना लोक-हित में आवश्यक या समीचीन है, वहां प्राधिकरण, किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शीयों, विशेषज्ञों, इंजीनियरों ,सर्वेक्षकों और ऐसे अन्य तकनीकी एवं वृत्तिक व्यक्तियों जैसा यह आवश्यक समझे, की सहायता ले सकेगा तथा उन्हें किसी मामले या विवादक का अध्ययन, अन्वेषण या जांच करने तथा रिपोर्ट या रिपोर्टे प्रस्तुत करने अथवा कोई सूचना देने के लिए कह सकेगा तथा प्राधिकरण ऐसे वृत्तिकों की नियुक्ति विनियोजन के लिए निबंधन और शर्तें अवधारित कर सकेगा।

(2) शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण भूगर्भ जल से सम्बन्धित सूचना एकत्रित (संग्रहण) करने के बारे में तथा इस बाबत जांच और अन्वेषण संचालित करने के प्रयोजन से,—

(क) किसी भी समय, किसी एक या अधिक अधिकारियों या परामर्शीयों या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा प्राधिकरण समुचित समझें, प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के भीतर किसी मामले की बाबत अध्ययन करने, अन्वेषण करने या सूचना देने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा ;

(ख) ऐसे अन्य निदेश दे सकेगा जैसे उक्त प्रयोजन के लिए यह उचित समझे और ऐसा समय निर्दिष्ट कर सकेगा जिसके भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है या सूचना दी जानी है।

(ग) सूचना विशिष्टियों (कुएं का व्यास या गहराई, कुएं के ड्रिलिंग कार्यों में जिन संस्तरों (परतों) का सामना किया गया उनकी किस्में और वहां से निकाले गए जल की गुणवत्ता और मात्रा सहित ) या दस्तावेज, जिन्हें प्राधिकरण अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में आवश्यक मानें, एकत्रित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगा और अधिनियम में उपबंधित किन्ही एक या अधिक पद्धतियों का अनुसरण कर सकेगा जैसा प्राधिकरण समुचित समझे ;

(घ) यदि अधिनियम या इस नियम में यथा विनिर्दिष्ट अभिप्राप्त कोई ऐसी रिपोर्ट या सूचना न्यून या अपर्याप्त प्रतीत होती है, तो प्राधिकरण या इसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य सचिव आगामी जांच, रिपोर्ट और सूचना देने के लिए निदेश दे सकेगा;

(ङ.) यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आनुषंगिक पारिणामिक और अनुपूरक विषयों मामलों जो उपरोक्त के सम्बन्ध में सुसंगत माने जाएं पर ध्यान दिया ( देखा ) जाए; और

(च) कुआं खोदने वाले व्यक्ति से लिखित में, वहां से निकाली गई मिट्टी और सामग्री के नमूने, कुएं की खुदाई ड्रिलिंग के समापन या परित्याग की तारीख से तीन मास से अनधिक अवधि के लिए रखने और परिरक्षित करने तथा इसे प्राधिकरण या उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत सदस्य सचिव के द्वारा परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी !

(3) इन नियमों के अधीन यदि वांछित रिपोर्ट या सूचना अथवा उसका कोई अंश प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्यवाही में राय या विचार बनाने में निर्भर होने के लिए प्रस्तावित है, तो कार्यवाही में पक्षकारों को रिपोर्ट या सूचना पर आक्षेप दाखिल करने और इस निमित्त निवेदन सबमीशन करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

### अध्याय –8

## वर्षा जल का संचयन, संरक्षण, और भूगर्भ जल का पुनःप्रभरण तथा बेकार जल प्रबंधन।

**28. वर्षा जल का संचयन प्रचार कार्यक्रम :-** प्राधिकरण , अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से –

(क) भूगर्भ जल के पुनःप्रभरण के लिए वर्षा जल का संचयन करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा;

(ख) ग्रामीण और शहरी नगरीय दोनों क्षेत्रों में पर्वतीय शिखरों (पहाड़ी चोटियों ) पर्वत-स्कंधों और नदी/जलधारा (दरिया) किनारों के निवासियों द्वारा अनुसरण करने हेतु उचित उपायों के लिए सुझाव दे सकेगा;

(ग) ग्रामीण और (शहरी) नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल प्रबंधन के लिए स्कीमें बना सकेगा;

(घ) वर्षा जल संचयन को संप्रवर्तित करने (की अभिवृद्धि करने) के लिए कार्यशालाओं (कार्य शिविर) सेमिनारों, लोक भाषणों, विचार-विमर्शों, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों सहित सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का जिम्मा ले सकेगा ; और

(ङ) जलागम क्षेत्रों में सामुदायिक वर्षा जल भंडारकरण या अतः स्रवण जलाशय (टंकियों) (रिसाव वाली टंकियों ) तालाबों ,रोक बांधों या पुनःप्रभरण कृषकों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर सकेगा!

29 निदेश जारी करने की शक्ति ;-(1) प्राधिकरण , स्थानीय प्राधिकरणों और सरकारी विभागों को, उनकी विकासात्मक स्कीमों /योजनाओं में; अधिसूचित क्षेत्रों में, भूगर्भ जल के पुनःप्रभरण के लिए वर्षा जल के संचयन की व्यवस्था (उपलब्ध) करने के लिए निदेश जारी कर सकेगा :

परन्तु यह कि नगरीय (शहरी) क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्र के भीतर, इन नियमों के अधीन जारी कोई भी निदेश वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं के सननिर्माण के लिए निम्नलिखित में लागू नहीं होगा:-

(क) 100 वर्ग मीटर से न्यून कुर्सी क्षेत्रफल (टिलथसंटिया) वाले आवासीय या वाणिज्यिक परिसर में; या

(ख) धंसने वाले परिक्षेत्रों में जहां वर्षा जल संचयन अवसंरचनाओं का निर्माण क्षेत्र में भवन अवसंरचनाओं की सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।

**अध्याय-9**

**भूगर्भ जल निकालने (निष्कर्षण) और उपभोग करने के लिए रायलेटी**

**30. रायलेटी का उद्ग्रहण और संग्रहण :-** जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निदिष्ट न किया जाए , प्रत्येक व्यक्ति जो भी अधिसूचित क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक औद्योगिक या सिंचाई प्रयोजनों हेतु भूगर्भ जल निकालता है, प्राधिकरण को प्रतिवर्ष 1/2 रूपया प्रति दस हजार लीटर की दर से रायलेटी संदत्त करेगा:

परन्तु भूगर्भ जल के ऐसे उपभोक्ता, जो एक हैक्टेयर से कम भूमि, चाहे स्वामित्व में हो या पट्टे पर ली गई हो या दोनों हो, सिंचित करता है को रायलेटी के संदाय से छूट-प्राप्त होगी ।

(2) इस प्रकार संग्रहीत रायलेटी की राशि का एक-चौथाई प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार को भेजा (प्रेषित किया) जाएगा और शेष तीन-चौथाई प्राधिकरण द्वारा उन पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों, जिनकी अधिकारिता से रायलेटी संग्रहीत की गई है, के भूगर्भ जल स्रोतों के विकास के लिए, उनको आगामी संदितरण के लिए रखी जाएगी ।

## अध्याय—10 फीस और जुर्माना

31. आवेदनों पर फीस:— (1) धारा 7 के अधीन अनुज्ञापत्र प्रदान करने अथवा धारा 8 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए या धारा 9 के अधीन उनके द्वारा नियोजित रिंग ऑपरेटर और ड्रिलिंग अभिकरण एजेसी और मशीनरी या उपस्कर के रजिस्ट्रकरण हेतू या धारा 10 के अधीन अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में परिवर्तन, संशोधन और फेरफार करने के लिए, प्रत्येक आवेदन, ऐसे अनुज्ञापत्र या प्रमाण पत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार, यथास्थिति अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस के संदाय पर किया जाएगा ।

2 इन नियमों के अधीन संदेय फीस शिमला में संदेय मांगदेय ड्राफ्ट (डिमान्ड ड्राफ्ट) या संदाय आदेश (पे आर्डर के रूप में) प्राधिकारी के पक्ष में संदत की जाएगी!

3 इन नियमों के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्राप्त फीस इन नियमों के नियम 12 के अधीन किसी अनुसूचित बैंक में जमा की जाएगी ।

**32. अपराधों का शमन:**— जहां अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो ऐसे अपराध का, कार्यवाहियों के संस्थित किये जाने से पूर्व या पश्चात , प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी द्वारा, उस पर प्रतिकर के रूप में धनराशि , जो जुर्माने की अधिकतम सीमा के आधे से अधिक नहीं होगी जो इसके लिए अधिरोपित की जा सके, स्वीकार करने के पश्चात किसी भी समय शमन किया जा सकेगा:

परन्तु यह कि प्रतिकर या जुर्माने की मात्रा और/या प्रशमन फीस अवधारित करते समय प्राधिकारी अन्य सुसंगत बातों (चीजों) के साथ निम्नलिखित पर विचार करेगा:—

(क) अननुपालना अथवा उल्लंघन की प्रकृति और विस्तार;

(ख) अननुपालना अथवा उल्लंघन के परिणाम स्वरूप व्युत्पन्न सदोप अभिलाभ या नावाजिव फायदे की रकम;

(ग) अननुपालना अथवा उल्लघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को कारित हानि की रकम या उत्पीडन की मात्रा; और

(घ) अननुपालना अथवा उल्लघन की पुनरावृत्ति प्रकृति।

33 जुर्माना और प्रशमन फीस :- प्राधिकरण द्वारा प्रभारित जुर्माना और उदगृहित प्रशमन फीस संदेय होगी और रकम को नियम 31 में यथाविनिर्दिष्ट रीति में जमा किया जाएगा।

34 जुर्माना और खर्च की वसूली:- धारा 13 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) के परन्तुक या धारा 14 के परन्तुक या धारा 15 की उप-धारा (3) के अधीन वसूल किए जा सकने वाले खर्च, शास्ति, प्रभार और धारा 22 के अधीन प्रशमन फीस, यदि संदत नहीं की गई है, भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी।

## अध्याय – II अपीलें

35.राज्य सरकार को अपीलें करना :-(1) प्राधिकारी द्वारा किये गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार को अपील कर सकेगा।

2. अपील, इन नियमों के नियम 31 के उप-नियम (2) में; यथा विनिर्दिष्ट रीति में; दो सौ रूपये के सदाय पर दाखिल (फाईल) की जाएगी।

3. अधिनियम की धारा 24 के अधीन राज्य सरकार को दाखिल (फाईल) की गई अपील सम्पक रूप से सत्यापित और प्ररूप -9 में शपथ पत्र द्वारा समर्थित और उसके साथ;-

(क) उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई; और

(ख) फीस के सदाय की रसीद की फोटो कापी, संलग्न होगी।

**अनुसूची**  
**फीस संरचना**  
**( नियम –16,22,26 और 31 देखे)**

क्रम संख्या	आवेदन की प्रकृति	वैधानिक उपलब्ध	अप्रतिदेय फीस (रूपयों में )
1	अनुज्ञापत्र प्रदान करने के लिए आवेदन ।	धारा 7 और नियम 16	(क) ट्यूब वेल के मामले में पांच हजार रुपये (ख) ऊर्जा चालित हैण्ड पम्प के मामले में एक हजार रुपये (ग) वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोक्ताओं के मामले में दस हजार रुपये
2	विद्यमान भूगर्भ जल उपयोक्ता को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन ।	धारा 8 और नियम 22	(क) ट्यूब वेल के मामले में पांच हजार रुपये (ख) ऊर्जा चालित हैण्ड पम्प के मामले में एक हजार रुपये (ग) वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोक्ताओं के मामले में दस हजार रुपये
3	रिग के स्वामियों और ड्रिलिंग अभिकरणों की मशीनरी और उपस्कर के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।	धारा 9 और नियम 26	दस हजार रुपये
4	अनुज्ञापत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के निबन्धनों में परिवर्तन करने संशोधन करने या फेरफार करने के लिए आवेदन	धारा 10	पाँच सौ रुपये
5	कोई अन्य आवेदन जो उपरोक्त मद (1), (2), (3), तथा (4) के अन्तर्गत न आता हो	—	सौ रुपये

## प्ररूप -1 (नियम 16 देखें)

कुआं खुदवाने और भूगर्भ जल के उपयोग के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन का प्ररूप

(घरेलू / सिंचाई)

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं  
अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण)  
इकाई- II जल भवन, कसुम्पट्टी शिमला-9

महोदय,

मैं/हम निवेदन करते हैं कि मुझे /हमें कुएं को खुदवाने/विद्यमान कुएं के संवर्धन तथा भूगर्भ जल के उपयोग के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाए ! अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :-

(I) आवेदक के ब्यौरे:-

- (i) आवेदक का नाम:
- (ii) पिता/पति का नाम
- (iii) पत्राचार के लिए पता:
- (iv) दूरभाष संख्या (यदि कोई है):
- (v) फ़ैक्स संख्या (यदि कोई है):
- (v i) ई-मेल पता (यदि कोई है):

(2) भूगर्भ जल स्रोत के ब्यौरेअवस्थिति

- (i) सम्पदा के नाम सहित:  
सम्पदा की संख्या हदबस्त
- (i) खाता/खतौनी/खसरा संख्या:
- (iii) गांव/नगर/मोहल्ला/गली :
- (iv) तहसील:
- (v) जिला:
- (v i) क्या स्रोत ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे धारा 5 के अधीन

अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, यदि ऐसा है, तो

ब्यौरा दे:

(vii) स्वामित्व

(viii) क्या प्रस्ताव उथले/गहरे/टयूब वेल को खुदवाने  
से अन्तर्वलित है!

(ix) प्रयोजन जिसके लिए जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है

मैं/ हम एतद्वारा धोषणा करता हूँ /करते हैं कि:—

(क) उपरोक्त दी गई सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही है ।

(ख) मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 और तद्धीन विरचित नियमों के उपबन्धों को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/है।

(ग) मैंने/हमने बैंक ड्राफ्ट / चैक नम्बर-----  
तारीख-----द्वारा जारी-----के नाम पर  
----- बैंक का-----में देय या नकद प्राप्ति  
संख्या-----तारीख -----द्वारा-----रूपये की  
आवेदन फीस जमा कर दी है।

(घ) मैं/हम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञा पत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सर्वधा भूगर्भ जल स्रोत के निष्पादन/संवर्धन/अनुरक्षण/उपयोग करने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।

(ङ) मैं/हम मेरे/हमारे जल स्रोत के लिए और इसके सहबद्ध कार्यों के लिए प्राधिकरण और इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को पहुँच उपलब्ध करवाऊँगा/करवाएँगे।

(च) मैं/हम प्राधिकरण और इसके अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्येक विधिपूर्ण निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

आवेदक/

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के  
पूर्णपते सहित हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

टिप्पण : आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :-

1. आवेदक, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण के पक्ष में शिमला में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण यूनिट-1।), जल भवन शिमला-9 को टयूब वेल के लिए पांच हजार रुपये और ऊर्जा चालित हैण्डपम्प के मामले में एक हजार रुपये की आवेदन फीस के साथ द्विप्रतिक में पूर्ण आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें।
2. भूमि जिसमें स्रोत अवस्थित है की जमाबन्दी की प्रति।
3. ततीमा जिसमें जल स्रोत की सही अवस्थिति दर्शाई गई हो।
4. सही अवस्थिति और साथ लगते अलग से पहचान लिए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बिन्दुओं को दर्शित करती स्थल योजना (साइट प्लान)।
5. अनुमानित ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपस्करों की सूची।
6. जो लागू नहीं है उसे काट दें।

**प्ररूप -1-क****(नियम 16 देखें)**

कुआं खुदवाने और भूगर्भ जल के उपयोग के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान करने हेतु आवेदन का प्ररूप  
(वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोक्ता)

सेवा में,

सदस्य सचिव,

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण  
इकाई- 1।) जल भवन, कसुम्पटी शिमला-9

महोदय,

मैं/हम निवेदन करते हैं कि मुझे/हमें कुएं के खुदवाने/विद्यमान कुएं के संवर्धन  
और भूगर्भ जल के उपयोग के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रदान किया जाए। अपेक्षित सूचना नीचे दी गई  
है:-

**आवेदक के ब्यौरे**

- |     |   |   |
|-----|---|---|
| (1) | आवेदक का नाम                                | : |
| (2) | पिता/पति का नाम                             | : |
| (3) | पत्राचार के लिए पता                         | : |
| (4) | जहां आवेदक निगमित निकाय है, ब्यौरे दें----- |   |
| (क) | कम्पनी/फर्म/सहकारी                          | : |
|     | सोसाइटी / अन्य                              |   |
| (ख) | कम्पनी कब और कहाँ                           | : |
|     | निगमित/रजिस्ट्रीकृत है                      |   |
|     | <u>निगमन/रजिस्ट्रीकरण</u>                   | : |
|     | का स्थान                                    |   |
|     | निगमन का वर्ष                               | : |
|     | रजिस्ट्रीकरण संख्या                         | : |
|     | फर्म, सहकारी सोसाइटी के                     | : |
|     | रजिस्ट्रीकरण का स्थान                       | : |

(ग) निदेशक / भागीदारों/शासी :  
निकाय सदस्यों/न्यासियों के  
नाम और पते

(2) भूगर्भ जल स्रोत के ब्यौरे

(क) अवस्थिति

- (1) सम्पदा के नाम सहित :  
सम्पदा की संख्या (हदबस्त)
- (2) खाता/खतौनी/खसरा संख्या :
- (3) गाँव/नगर/मौहल्ला/गली :
- (4) तहसील :
- (5) जिला :
- (6) क्या स्रोत ऐसे क्षेत्र में स्थित  
है जिसे धारा 5 के अधीन  
अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया  
गया है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरे दें।:

(ख) स्रोत के ब्यौरे

- (1) क्या स्रोत बारहमासी :  
या मौसमी है
- (2) भूगर्भ जल की गुणवता :
- (3) जल प्राप्यता की मात्रा :

(ग) यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो  
क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नाम :

- (घ) यदि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो क्षेत्र की :  
नगरपालिका का नाम :
- (ङ) स्रोत के विद्यमान उपयोग का स्वरूप:-  
(1) घरेलू (2) औद्योगिक (3) क्या उद्योग  
लघु/बड़ा है, (4) वाणिज्यिक (5) सिंचाई
- (3) **स्वामित्व के ब्यौरे :-**  
क्या स्रोत प्राईवेट स्वामित्व के  
अर्न्तगत हैं, यदि ऐसा है, तो स्वामित्व  
के ब्यौरें: :
- (4) **कुआं खुदवाने या/भूगर्भ जल स्रोत के संवर्धन का प्रयोजन:-**
- (1) प्रयोजन जिसके लिए जल  
निकालना या उपयोग किया  
जाना प्रस्तावित है :
- (2) पूर्वक्षित उपयोक्ताओं के ब्यौरे :
- (3) निकाले जाने को प्रस्तावित  
जल की मात्रा :
- (4) जल की प्राप्यता की मात्रा  
और इसके उपयोग के बीच  
असमानता होने की दशा में  
हिताधिकारियों को अतिभेष जल की  
प्राप्यता के ब्यौरें :
- (5) क्या रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र  
निदेशक, उद्योग से प्राप्त किया  
गया है (यदि हों तो एक प्रति प्रस्तुत  
की जाए)

:

(5) निष्पादित/अनुरक्षित किए जाने वाले कार्यों के ब्यौरे

- (1) कार्यों के ब्यौरे :
- (2) उपगत की जाने वाली अनुमानित लागत/व्यय :
- (3) क्या कार्य वैयक्तिक रूप से या सामूहिक तौर पर सहकारी रूप से या सामुदायिक आधार पर निष्पादित/अनुरक्षित किया जाना है: :
- (क) जहाँ कार्य सामूहिक तौर पर निष्पादित/अनुरक्षित किया जाना है, भागीदारों और उनके हिस्सों के ब्यौरे दें :
- (ख) जहाँ स्रोत या भूमि जिस पर स्रोत अवस्थित है, आवेदक के स्वामित्व के अधीन नहीं है, तो ऐसे स्रोत या भूमि के अर्जन की रीति :
- (4) क्या स्रोत के अन्य विद्यमान प्रति स्पर्धा उपयोक्ताओं की सहमति प्राप्त की है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरे दें :
- (5) कार्य प्रारम्भ की तारीख :
- (6) तारीख जिसको कार्य पूर्ण किया जाना है :
- (6) बेकार जल प्रबन्धन व्यवस्थाएं :
- (7) कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाएं या आवेदक जिन्हें प्रदान किए जाने वाले अनुज्ञा-पत्र में सम्मिलित करना चाहता है :
- मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि :-
- (क) उपरोक्त प्रारूप में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

- (ख) मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 और तदधीन विरचित नियमों के पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने को वचनवद्ध हूँ/हैं।
- (ग) मैंने/हमने बैंक ड्राफ्ट/चैक नम्बर-----तारीख-----द्वारा जारी सदस्य सचिव, भूगर्भ जल प्राधिकरण के नाम पर -----बैंक का -----में देय या नकद में प्राप्ति संख्या-----तारीख-----द्वारा-----रूपये की आवेदन फीस जमा कर दी है।
- (घ) मैं/हम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञापत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सर्वथा भूगर्भ जल स्रोत के निष्पादन/संवर्धन/अनुरक्षण/उपयोग करने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।
- (ङ) मैं/हम मेरे/हमारे जल स्रोत के लिए और इसके सहयुक्त कार्यों के लिए प्राधिकरण और इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को पहुँच उपलब्ध करवाऊँगा/करवाएँगे।
- (च) मैं/हम प्राधिकरण और इसके अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्येक विधिपूर्ण निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

आवेदक /

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के  
पूर्ण पते सहित हस्ताक्षर

तारीख :  
स्थान :

टिप्पण : आवेदन प्रारूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे :-

1. आवेदक, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण के पक्ष में शिमला में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण

अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण यूनिट-।।), जल भवन शिमला-9 को दस हजार रूपये की आवेदन फीस के साथ द्विप्रतिक में पूर्ण आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें।

2. भूमि जिसमें स्रोत अवस्थित है की जमाबन्दी की प्रति।
3. ततीमा जिसमें जल स्रोत की सही अवस्थिति दर्शाई गई हो।
4. सही अवस्थिति और साथ लगते अलग से पहचान लिए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बिन्दुओं को दर्शात करती स्थल योजना (साइट प्लान)
5. कानूनी प्राधिकरण से अनुज्ञप्ति/अनापति प्रमाण पत्र, यदि अपेक्षित हो, या आवेदक द्वारा यह घोषणा कि कुए की प्रस्तावित खुदाई/ड्रिलिंग या जल स्रोत का संवर्धन किसी अन्य परिनियम के अधीन अनापति प्रमाण-पत्र की अपेक्षाओं के अधीन नहीं आता है।
6. भागीदारी फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख।
7. लिमिटेड कम्पनी की दशा में, संगम के ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद तथा निगमन का प्रमाण-पत्र।
8. अनुमानित ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपस्करों की सूची।
9. प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्ता के लिए संकल्प।
10. उद्योग विभाग/हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण।
11. भूगर्भ जल अपेक्षओं से सुसंगत परियोजना रिपोर्ट का सार उद्योगों की दशा में।
12. जहां जल सर्वेक्षण/अध्ययन , संचालित किया जा चुका है, तो ऐसे [सर्वेक्षण/अध्ययन](#) की रिपोर्ट
13. भूमि या परिसम्पतियों, जो आवेदक ने जल निकालने के प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी प्रस्तावित की हैं, को वर्णित करती हुई विवरणी और ऐसे अर्जन के साधन।
14. जो लागू नहीं है उस काट दें।

## प्ररूप -2

## (नियम 17 (1) देखें)

## प्रकाशन का प्रपत्र

## हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण शिमला

सार्वजनिक सूचना

एतद् द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि

श्री / मैसर्ज—

—(आवेदक का नाम और पता) ने —क्षेत्र (अधिसूचित क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें) में —(जल स्रोत का नाम और अवस्थिति विनिर्दिष्ट करें) में प्राप्य भूगर्भ जल निकालने और उपयोग करने के लिए अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने हेतु भूगर्भ जल प्राधिकरण को आवेदन किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन/दस्तावेजों का आवेदक के कार्यालय/निवास पर या —प्राधिकरण द्वारा अभिहित नाम, स्थान या कार्यालय, यदि कोई हो कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

और इसकी प्रतियां आवेदक से प्राप्त की जा सकेगी जिसकी कीमत एक रुपया प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होगी।

कोई भी व्यक्ति जिसे अनुज्ञा-पत्र प्रदान करने की बाबत कोई आक्षेप है या इस निमित्त अन्यथा अभ्यावेदन करता है तो वह इस प्राधिकरण के दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से —

को या इससे पूर्व आक्षेप/अभ्यावेदन अग्रेषित कर सकेगा और आवेदक को उपरोक्त वर्णित पते पर आक्षेप/अभ्यावेदन की एक प्रति भेजेगा।

आक्षेप/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियां देगा:-

- (1) नाम और पूरा पता।
- (2) दस्तावेज या साक्ष्य, यदि उपलब्ध हो, सहित आक्षेप/अभ्यावेदन के समर्थन में आधार/कारण।
- (3) क्या वह सुनवाई के समय स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाना चाहता है।

सदस्य सचिव

**प्रारूप -3****(नियम 19 (3) देखें)**

भूगर्भ जल स्रोत के निष्कर्षण (निकालने) और उसके संवर्धन के लिए अनुज्ञापत्र का प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण शिमला

अनुज्ञापत्र संख्या

तारीख

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण, शिमला, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास) और प्रबन्धन का विनियम और नियन्त्रण अधिनियम, 2005 (2005 का 31) की धारा 7 की उप-धारा (3) के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री/ मैसर्ज----- को नए कुएं को खोदने/विद्यमान जल स्रोत के संवर्धन को----- (स्रोत का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें) में-----क्षेत्र में अवस्थित (अधिसूचित क्षेत्र का ब्यौरा विनिर्दिष्ट करें) नीचे दिए निबन्धनों और शर्तों के अधीन ----- के प्रयोजन (जल के उपयोग का प्रयोजन विनिर्दिष्ट करें) के लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया जाता है

(क) \_\_\_\_\_

(ख) \_\_\_\_\_

(ग) \_\_\_\_\_

अनुज्ञापत्र धारक पूर्वोक्त स्रोत को दक्षतापूर्ण, समन्वित और मितव्ययी रीति में विकसित और अनुरक्षित रखने तथा हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियम और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 (2005 का 31) और तद्धीन विरचित नियमों में अन्तर्विष्ट अन्य उपबन्धों, तथा इस प्राधिकरण द्वारा जारी या विनिर्दिष्ट अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुपालना के साथ-साथ जल का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करने, जिसके लिए अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया है, के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा। हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण की मोहर (मुद्रा) के अधीन प्रदत्त ।

सदस्य सचिव

स्थान:  
तारीख:

**प्ररूप -4**  
**(नियम 22 देखें)**

भूगर्भ जल उपयोक्ताओं के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को प्रदान करने हेतु आवेदन का प्रपत्र (घरेलू/सिंचाई)

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण इकाई- I) जल भवन, कसुम्पट्टी, शिमला-9 ।

महोदय,

मैं/हम, आपसे मेरे/हमारे भूगर्भ जल स्रोत को रजिस्टर करने तथा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं । अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

**(1) आवेदक के ब्यौरे**

- (i) आवेदक नाम :
- (ii) पिता/पति का नाम :
- (iii) पत्राचार के लिए पता :
- (iv) दूरभाष संख्या (यदि कोई हो) :
- (v) फैक्स संख्या (यदि कोई हो) :
- (vi) ई-मेल पता (यदि कोई हो) :

**(2) भूगर्भ जल स्रोत के ब्यौरे**

- (क) अवस्थिति
- (i) सम्पदा के नाम सहित सम्पदा की संख्या (हदबस्त) :

- (ii) खाता/खतौनी/खसरा संख्या :
- (iii) गांव/नगर/मोहल्ला/गली :
- (iv) तहसील :
- (v) जिला :
- (vi) क्या स्रोत ऐसे क्षेत्र में स्थित  
जिसे धारा 15 के अधीन  
अधिसूचित क्षेत्र घोषित किया  
गया है, यदि ऐसा है, तो ब्यौरे दें। :
- (vii) स्वामित्व :
- (viii) क्या प्रस्ताव उथले/गहरे/ट्यूब :  
वैल को खुदवाने से अन्तर्वलित है
- (ix) प्रयोजन जिसके लिए जल का  
उपयोग किया जाना प्रस्तावित है :

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/ करते हैं कि :-

- (क) उपरोक्त दी गई सूचना मेरी/हमारी पूरी जानकारी के अनुसार सही है।
- (ख) मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 और तद्धीन विहित नियमों के उपबन्धों को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने को वचनबद्ध हूँ/हैं।
- (ग) मैंने/हमने बैंक ड्राफ्ट/चैक नम्बर -----तारीख-----द्वारा जारी -----के नाम पर -----बैंक का -----में देय या नकद में प्राप्ति संख्या----- तारीख -----द्वारा-----रूपये की आवेदन फीस जमा कर दी है।
- (घ) मैं/हम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञापत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सर्वथा भूगर्भ स्रोत के निष्पादन/संवर्धन/अनुरक्षण/उपयोग करने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।

- (ड) मैं/हम मेरे/हमारे जल स्रोत के लिए और इसके सहबद्ध कार्यों के लिए प्राधिकरण और इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के पहुँच उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
- (च) मैं/हम प्राधिकरण और इसके अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्येक विधिपूर्ण निर्देशों/अनुदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

आवेदक/  
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के  
पूर्ण पते सहित हस्ताक्षर

तारीख-----

स्थान-----

टिप्पण:- आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलान किए जाएंगे:-

1. आवेदक सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण के पक्ष में शिमला में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण इकाई-11), जल भवन शिमला-9 को ट्यूब वेल के लिए पांच हजार रुपये और ऊर्जा चालित हैण्डपम्प के मामले में एक हजार रुपये की आवेदन फीस के साथ द्विप्रतिक में पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. भूमि, जिसमें स्रोत अवस्थित है की जमाबन्दी की प्रति।
3. ततीमा जिसमें जल स्रोत की सही अवस्थिति दर्शाई गई हो।
4. सही अवस्थिति और साथ लगते अलग से पहचान लिए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बिन्दुओं को दर्शित करती स्थल योजना (साइट प्लान)।
5. अनुमानित ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित उपस्करों की सूची।
6. जो लागू नहीं हैं उसे काट दें।

**प्ररूप-4-क**  
**(नियम 22 देखें)**

भूगर्भ जल (वाणिज्यिक/औद्योगिक उपयोक्ताओं) के उपयोग के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रारूप ।

सेवा में,

सदस्य सचिव,  
हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण इकाई-।।) जल भवन, कसुम्पट्टी, शिमला-9 ।

महोदय,

मैं/हम, आपसे मेरे/हमारे भूगर्भ जल स्रोत को रजिस्टर करने और रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निवेदन करता हूँ/करते हैं । अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:-

**(1) आवेदक के ब्यौरे**

- |       |   |   |
|-------|---|---|
| (i)   | आवेदक नाम   | : |
| (ii)  | <u>पिता/पति</u> का नाम                                    | : |
| (iii) | पत्राचार के लिए पता                                       | : |
| (iv)  | जहाँ आवेदक नियमित निकाय है, ब्यौरा दें                    | : |
| (क)   | क्या उपयोक्ता <u>कम्पनी/फर्म/सहकारी सोसाइटी/अन्य</u> है   | : |
| (ख)   | क्या वह नियमित/रजिस्टर्ड है                               | : |
| (ग)   | <u>निगमन/</u> रजिस्ट्रीकरण का स्थान                       | : |
| (घ)   | निगमन का वर्ष   | : |
| (ङ)   | रजिस्ट्रीकरण संख्या                                       | : |
| (च)   | निदेशक/भागीदारों/शासी निकाय सदस्यो/न्यासियो के नाम और पते | : |

**(2) भूगर्भ जल स्रोत के ब्यौरे :-****(क) अवस्थिति**

- (i) सम्पदा के नाम सहित  
सम्पदा की संख्या हदबस्त :
- (ii) खाता/खतौनी/खसरा संख्या :
- (iii) गांव/नगर/मोहल्ला/गली :
- (iv) तहसील :
- (v) जिला :
- (vi) क्या स्रोत ऐसे क्षेत्र में स्थित है जिसे  
धारा 5 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र  
घोषित किया गया है, यदि ऐसा है, तो  
ब्योरा दें। :

**(ख) स्रोत के ब्यौरे :**

- (i) क्या स्रोत बारहमासी या मौसमी है :
- (ii) भूगर्भ जल की प्रकृति :
- (iii) जल प्राप्यता की मात्रा :

- (ग) यदि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तो  
क्षेत्र की ग्राम पंचायत का नाम :
- (घ) यदि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो क्षेत्र की  
नगरपालिका का नाम :

**(ङ) स्रोत के विद्यमान उपयोग का स्वरूप :-**

- (1) घरेलू (2) औद्योगिक (3) क्या उद्योग  
लघु/बड़ा है, (4) वाणिज्यिक (5) सिंचाई

(3) **स्वामित्व के ब्यौरे :-**

क्या स्रोत प्राइवेट स्वामित्व के अर्न्तगत हैं, यदि ऐसा है, तो स्वामित्व के ब्यौरे:

(4) **क्षेत्र में भूगर्भ जल स्रोतों / संरचना का अन्तरालन**

(क) आस-पास में विद्यमान भूगर्भ जल स्रोतों के ब्यौरे और अवस्थिति आकाशीय दूरी के साथ

(i) \_\_\_\_\_

(ii) \_\_\_\_\_

(iii) \_\_\_\_\_

(iv) \_\_\_\_\_

(ख) क्या क्षेत्र में कोई उठाऊ जल आपूर्ति या ग्रेविटी जल आपूर्ति स्कीम कार्यान्वयन में है, यदि ऐसा है, तो उसके संक्षिप्त ब्यौरे दें।

(5) **जल संकर्मों के अन्य ब्यौरे**

(क) क्या भूगर्भ जल स्रोत का वैयक्तिक, सामूहिक या सामुदायिक आधार पर उपयोग किया जा रहा है।

(ख) क्या भूगर्भ जल स्रोत या भूमि जिस पर स्रोत या भूमि जिस पर स्रोत अवस्थित है, आवेदक के स्वामित्व के अर्न्तगत है।

(ग) क्या स्रोत सहस्वामियों/भागीदारों के स्वामित्व में है तो सहस्वामियों/भागीदारों के हिस्सो का अनुपात दें।

(घ) जल स्रोत के प्रवर्तन (कमीशनिंग) की तारीख

(6) **बेकार जल प्रबन्धन के ब्यौरे**(7) **कोई अन्य सूचना जो सुसंगत समझी जाए।**

मैं/हम एतद् द्वारा घोषण करता हूँ/ करते हैं कि:-

- (क) उपरोक्त परूप में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।
- (ख) मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 और तद्धीन विरचित नियमों के उपबन्धों को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने को वचनवद्ध हूँ/हैं।
- (ग) मैंने/हमने बैंक ड्राफ्ट/चैक नम्बर -----तारीख-----द्वारा जारी सदस्य सचिव, भूगर्भ जल प्राधिकरण के नाम पर -----बैंक का -----में देय या नकद में प्राप्ति संख्या----- तारीख -----द्वारा-----रूपये की आवेदन फीस जमा कर दी है।
- (घ) मैं/हम हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 7 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए अनुज्ञापत्र के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार सर्वथा भूगर्भ स्रोत के निष्पादन/संवर्धन/अनुरक्षण/उपयोग करने की जिम्मेदारी लेता हूँ/लेते हैं।
- (ङ) मैं/हम मेरे/हमारे जल स्रोत के लिए और इसके सहबद्ध कार्यों के लिए प्राधिकरण और इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के पहुँच उपलब्ध करवाऊंगा/करवाएंगे।
- (च) मैं/हम प्राधिकरण और इसके अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी प्रत्येक विधिपूर्ण निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

आवेदक/

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के

पूर्ण पते सहित हस्ताक्षर

तारीख-----

स्थान-----

टिप्पण:- आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे:-

1. आवेदक सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण के पक्ष में शिमला में देय मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं

अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण इकाई-11), जल भवन शिमला-9 को दस हजार रूपये की आवेदन फीस के साथ द्विप्रतिक में पूर्ण आवेदन अवश्य प्रस्तुत करे।

2. भूमि, जिसमें स्रोत अवस्थित है, की जमाबन्दी की प्रति।
3. ततीमा जिसमें जल-स्रोत की सही अवस्थिति दर्शाई गई हो।
4. सही अवस्थिति और साथ लगते अलग से पहचान लिए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट बिन्दुओं को दर्शित करती स्थल योजना (साइट प्लान)।
5. भागीदार फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख।
6. लिमिटेड कम्पनी की दशा में संगम के ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद तथा निगमन का प्रमाण-पत्र।
7. अनुमानित ऊर्जा क्षमता के साथ प्रतिस्थापित किए जाने वाले उपस्करों की सूची।
8. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए संकल्प।
9. उद्योग विभाग/हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रीकरण।
10. भूगर्भ जल अपेक्षओं से सुसंगत परियोजना रिपोर्ट का सार उद्योगों की दशा में।
11. भूमि या परिसम्पतियां, जो आवेदक ने जल निकालने के प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी प्रस्तावित की हैं, को वर्णित करती हुई विवरणी और ऐसे अर्जन के साधन।

**प्ररूप -5****[नियम-23 (i) देखें]**

प्रकाशन का प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण शिमला

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि श्री/मैसर्ज------(आवेदक का नाम और पता) ने -----क्षेत्र (अधिसूचित क्षेत्र विनिर्दिष्ट करें) में------(जल स्रोत का नाम और अवस्थिति विनिर्दिष्ट करें) में प्राप्य भूगर्भ जल निकालने और उपयोग करने के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु भूगर्भ जल प्राधिकरण को आवेदन किया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन/दस्तावेजों का आवेदक के कार्यालय /निवास पर या------(प्राधिकरण द्वारा अभिहित नाम, स्थान या कार्यालय, यदि कोई हो) कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

और इसकी प्रतियां आवेदक से प्राप्त की जा सकेंगी जिसकी कीमत एक रुपया प्रति पृष्ठ से अधिक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जिसे उपरोक्त जल स्रोत के उपयोक्ता के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को प्रदान करने की बाबत कोई आक्षेप है या इस निमित्त अन्यथा अभ्यावेदन करता है तो वह इस प्राधिकरण को दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से -----को या इससे पूर्व आक्षेप/अभ्यावेदन अग्रेषित कर सकेगा और आवेदक /मैसर्ज-----को उपरोक्त वर्णित पते पर आक्षेप/अभ्यावेदन की प्रति की तामील होनी चाहिए।

आक्षेप /अभ्यावेदन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित विशिष्टियां देगा:-

- (1) नाम और पूरा पता:
- (2) दस्तावेज या सास्य, यदि उपलब्ध हो, सहित आक्षेप/अभ्यावेदन के समर्थन में आधार/कारण।
- (3) क्या वह सुनवाई के समय स्वयं चा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुना जाना चाहता है।

सदस्य सचिव

प्ररूप- 6

(नियम 25 (2) देखे)

भूगर्भ जल के स्त्रोत के रजिस्ट्रकरण के प्रमाण- पत्र का प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण शिमला

प्रमाणित किया जाता है कि -----नाम से  
ज्ञात-----जिला ----- हिमाचल प्रदेश में अवस्थित भूगर्भ जल स्त्रोत  
श्री ----- सुपुत्र श्री----- के स्वामित्वाधीन है और उससे निकाला गया  
जल----- के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है जो इस  
प्राधिकरण के पास ----- वर्ष की रजिस्ट्रीकरण संख्या -----द्वारा  
रजिस्ट्रीकृत है।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण की मोहर (मुद्रा) के अधीन प्रदत्त  
है।

सदस्य सचिव

तारीख :

स्थान :

**[नियम 26 (1) देखें]**

धारा 9 के अधीन ड्रिलिंग मशीनरी के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन का प्रपत्र

[आवेदक, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण के पक्ष में शिमला में देय मांग देय ड्राफ्ट के रूप में, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं अधीक्षण अभियन्ता (योजना एवं अन्वेषण इकाई-11), जल भवन, कसुम्पट्टी शिमला-9 को दस हजार रुपये की आवेदन फीस के साथ द्विप्रतिक में पूर्ण आवेदन अवश्य प्रस्तुत कर]

सेवा में,

-----  
-----

महोदय,

मैं/हम आपसे निवेदन करते हैं कि हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य में ड्रिलिंग कार्यों के लिए मेरे/हमारे द्वारा लगाई मशीनरी को रजिस्टर किया जाए। अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है:-

(1) आवेदक के ब्यौरे:-

- (1) आवेदक/संगठन का नाम :
- (2) पिता/पति/निदेशक/भागीदार/न्यासी का नाम :
- (3) पत्राचार के लिए पता :
- (4) जहाँ आवेदक निगमित निकाय है, ब्यौरे दें :

- (क) क्या उपभोक्ता कम्पनी/फर्म/सहकारी सोसाइटी/अन्य हैं:
- (ख) क्या वह निगमित/रजिस्ट्रीकृत है:  
निगमन/रजिस्ट्रीकरण का स्थान :  
 निगम का वर्ष:  
 रजिस्ट्रीकरण संख्या:  
 फर्म, सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का स्थान:
- (ग) निदेशकों/भागीदारों/शासी निकाय/सदस्या/न्यासियों के नाम और पत्ते:
- (5) कार्य (कार्यान्वयन) क्षेत्र के ब्यौरे :
- (6) ड्रिलिंग कार्यों की प्रकृति :
- (7) उपयोग में भारी ड्रिलिंग मशीनरी के ब्यौरे:
- (8) उपयोग में अन्य मशीनरी और उपकरणों के ब्यौरे :
- (9) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए ड्रिलिंग कार्यों के परिणाम/लक्ष्यों सहित ब्यौरें:
- (10) अन्य कोई सूचना जो सुसंगत समझी जाए।  
 मैं/हम एतद् द्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि :-
- (क) उपरोक्त प्ररूप में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।
- (ख) मैंने/हमने हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 और तदधीन विरचित नियमों के उपबन्धों को पढ़ लिया है और उनका अनुपालन करने के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं।

(ग) मैंने/हमने बैंक ड्राफ्ट/चैक नम्बर-----तारीख-----द्वारा जारी सदस्य सचिव (भूगर्भ जल प्राधिकरण) के पक्ष में -----बैंक का -----में देय या नकद प्राप्ति संख्या-----तारीख-----द्वारा -----रूपये की आवेदन फीस जमा कर दी है।

(घ) मैं/हम भूगर्भ जल ड्रिलिंग कार्यों को दक्षतापूर्ण, समन्वित और मितव्ययी रीति में करने को वचनबद्ध हूँ/हैं।

(ङ) मैं/हम प्राधिकरण और इसके अधिकारियों द्वारा जारी प्रत्येक विधिपूर्ण निदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करूँगा/करेंगे।

आवेदक/प्राधिकृत  
हस्ताक्षरकर्ता के पूर्ण पते  
सहित हस्ताक्षर

तारीख:-----

स्थान:-----

टिप्पण: आवेदन प्ररूप के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे:—

- (1) भागीदारी फर्म की दशा में, भागीदारी विलेख।
- (2) लिमिटेड कम्पनी की दशा में संगम के ज्ञापन और संगम के अनुच्छेद तथा निगमन का प्रमाण -पत्र।
- (3) उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपस्करों की सूची।
- (4) परिसम्पतियां जो आवेदक ने अर्जित की हैं, का वर्णन करती हुई विवरणी और राज्य में ड्रिलिंग कार्यों के प्रयोजन।

**प्ररूप-8****[नियम 26 (4) देखें]**

ड्रिलिंग मशीनरी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण शिमला रजिस्ट्रीकरण

संख्या-----तारीख-----

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण, शिमला, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल (विकास और प्रबन्धन का विनियमन और नियन्त्रण) अधिनियम, 2005 ( 2005,का अधिनियम संख्यांक 31 ) की धारा 9 के अधीन उसमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा मैसर्ज------(नाम और पूरा पता) हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रचालित रिग ऑपरेटर/ ड्रिलिंग अभिकरण के रूप में और उसके द्वारा प्रयुक्त मशीनरी/उपस्कर की सूची को रजिस्टर करते हैं तथा यह -----वर्ष के रजिस्ट्रीकरण संख्या ----- द्वारा प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है।

हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल प्राधिकरण की मोहर (मुद्रा) के अधीन जारी  
(प्रदत्त)

सदस्य सचिव

तारीख:-----

स्थान: -----

-----के समक्ष

(अपील प्राधिकारी का नाम)

अपील संख्या  
(कार्यालय द्वारा भरी

जाएगी)  
के मामले में :

(अपीलार्थी/आवेदक का नाम और पूरा पता और प्रतिवादियों के नाम और पूरा पता)

याचिका/उत्तर/आवेदन को सत्यापित करने वाला शपथ-पत्र

मैं-----, सुपुत्र श्री-----, आयु-----, निवासी  
-----, एतद् द्वारा सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और निम्नलिखित घोषणा करता हूँ:-

मैं-----लिमिटेड का निदेशक/सचिव हूँ जो उपरोक्त मामले में याचिकाकर्ता/ अपीलार्थी/प्रतिवादी है और उक्त याचिका कर्ता / अपीलार्थी द्वारा उसके/उसकी और से यह शपथ पत्र देने के लिए सभ्यक् रूप से प्राधिकृत हूँ।

टिप्पण: यह पैरा उन मामलों में सम्मिलित किया जाना है जिनमें याचिकाकर्ता /अपीलार्थी / प्रतिवादी कम्पनी है।

2. याचिका/आवेदन/उत्तर-----के पैरा -----में दिए गए कथन, जो मुझे अब दिखा दिए गए हैं, मेरी पूरी जानकारी के अनुसार सही हैं और -----पैरों में दिए गए कथन उस जानकारी (सूचना) के आधार पर है जो मेरे विश्वास के अनुसार सही है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपरोक्त अभिसाक्षी एतद् द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मेरे उपरोक्त शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरी पुरी जानकारी के अनुसार सही है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ भी नहीं छुपाया गया है।

-----के -----दिवस को सत्यापित

अभिसाक्षी

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य )  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या :आई0पी0एच0-बी (ए) 3-1/2005 तारीख, शिमला-2,

2006

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त जिलाधीश, हिमाचल प्रदेश ।
2. प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, एवं जन स्वास्थ्य, हि0प्र0,शिमला-1
3. वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा-II) , विधि विभाग सचिवालय  
हि0प्र0,शिमला-2
4. समस्त मुख्य अभियन्ता, (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) विभाग, शिमला, मण्डी,  
धर्मशाला,हि0प्र0
5. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हि0प्र0 शिमला-5 को आसाधारण हि0प्र0  
राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु । उनसे अनुरोध है कि वे कृपया उक्त राजपत्र  
की 100 प्रतियां इस विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा करें ।
6. 20 अतिरिक्त प्रतियां/गार्ड नस्ति

Sd/-

अतिरिक्त सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)  
हिमाचल प्रदेश सरकार।

